मण्डी परिषद के संचालक मण्डल की 133वीं बैठक दिनांक 11.09.2009 का कार्यवृत्त

बैठक का स्थानः किसान मण्डी भवन,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
बैठक का समयः मध्यान्ह 12.00 बजे।

उपस्थिति

1.	श्री इन्द्रजीत सरोज, मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।	अध्यक्ष	श्री इन्द्रजीत सरोज, मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
2.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ	सदस्य	श्री वी0के0 शर्मा, कृषि उत्पादन आयुक्त,
3.	सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य	श्री आर0एस0 वर्मा, सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार,
4.	प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	प्रतिनिधि	श्री एन0के0 द्विवेदी, विशेष सचिव, कृषि विभाग
5.	प्रमुख सचिव, खाद्य विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	प्रतिनिधि	श्री राधेश्याम मिश्र, सम्भागीय खाद्य नियंत्रक अधिकारी (मु0)
6.	निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यान भवन, लखनऊ	प्रतिनिधि	श्री आर0पी0 सिंह, अपर निदेशक
7.	कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	प्रतिनिधि	श्री ए0के0 विश्नोई, अपर कृषि निदेशक (परियोजना) कृषि निदेशालय, लखनऊ।
8.	निदेशक कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य	श्री राजेश कुमार सिंह, निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार,
9.	श्री राजेश कुमार सिंह, सदस्य एवं सचिव	सदस्य/ सचिव	श्री राजेश कुमार सिंह सदस्य एवं सचिव

मद संख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही/निर्णय
1	मा0 परिषद की 132वीं बैठक दिनांक 06.06.2009 की कार्यवाही की पुष्टि।	कार्यवाही की पुष्टि की गयी।
2	मा0 परिषद की 132वीं बैठक दिनांक 06.06.2009 की अनुपालन आख्या।	132वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या 11 पर लिये गये निर्णय के क्रम में बी0एस0एन0एल0 द्वारा मण्डी परिषद/ मण्डी समिति के अधिकारियों हेतु सी0यू0जी0 प्लान के अर्न्तगत टेलीफोन (मोबाइल) कनेक्शन में निहित वित्तीय

		उपाशयता हेतु पुनः सुविचारित प्रस्ताव मा0 संचालक मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाय। उक्त निर्णय के साथ मा0 संचालक मण्डल द्वारा 132वीं बैठक की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।
3	मण्डी समितियों की आय से सम्बन्धित प्रगति का प्रस्ताव।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा मण्डी समिति की आय की प्रगति अवलोकित की गयी तथा निर्धारित लक्ष्य रू0 614.00 करोड़ से अधिक रू0 619.41 करोड़ की रिकार्ड बढ़ोत्तरी हेतु प्रशंसा की गयी। जुलाई एवं अगस्त 09 की प्रगति अवलोकित की गयी तथा प्रगति को बनाये रखते हुए कृषि वर्ष 2009–10 के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।
4	वित्तीय वर्ष 2009–2010 के आय–व्ययक में विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशि के समक्ष संशोधित/ पुनरीक्षित प्राविधान के औचित्य पूर्ण प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
5	उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा–19(5)के संशोधन के संबंध में प्रस्ताव।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा–19 (5) के संशोधन का प्रस्ताव फिलहाल स्थगित रखा जाय।
6	नवीन मण्डी/ उपमण्डी निर्मित किये जाने हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति का प्रस्ताव।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा नवीन मण्डी (टूण्डला, टाण्डा, मिहीपुरवा)/ उपमण्डी (महाराजगंज, अल्हागंज) को निर्मित कराये जाने की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी।
7	उपमण्डी स्थल मलिहाबाद के निर्माण कराये जाने विषयक प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
8	नोयडा पुष्प मण्डी की क्रियाशीलता के सन्दर्भ में शासन स्तर पर दिनांक 15.07.09 को हुई बैठक एवं तत्क्रम में मण्डी समिति, नोयडा द्वारा पारित प्रस्ताव के क्रम में पुष्प मण्डी की	मा0 संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि– 1. पुष्प नीलामी केन्द्र से पुष्प क्रय करने पर एक वर्ष की अवधि तक मण्डी शुल्क से छूट। 2. पुष्प नीलामी केन्द्र से पुष्प क्रय करने पर दुकानों

	सफलता हेतु एक वर्ष तक मण्डी शुल्क में छूट, परिवहन भाड़ा अनुदान एवं दुकानों के किराये में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	के मासिक किराये में 03 तीन माह की छूट प्रदान की गयी। मासिक किराये में छूट तथा उसके मापदण्ड तय करने हेतु निदेशक, मण्डी परिषद को अधिकृत किया गया। 3. आवक को दूर–दराज के स्थानों से आवक के परिवहन में व्यय होने वाली धनराशि में अनुदान स्वरूप भाड़ा अनुदान (न्यूनतम 10 प्रतिशत से अधिकतम 50 प्रतिशत तक) तय करने हेतु निदेशक, मण्डी परिषद को अधिकृत किया गया।
9	पुष्प के थोक व्यवसाय को अपना बाजार, गोमती नगर, लखनऊ में स्थापित करने विषयक।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
10	आगरा शहर में फल सब्जी एवं पुष्प के विपणन हेतु अतिरिक्त मण्डी स्थल निर्मित कराये जाने का प्रस्ताव।	आगरा शहर में फल सब्जी एवं पुष्प के विपणन हेतु अतिरिक्त मण्डी स्थल निर्मित कराये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
11	गोमती नगर स्थित किसान मण्डी भवन परिसर में ओडिटोरियम तथा सभाकक्ष के निर्माण की सैद्वान्तिक स्वीकृति का प्रस्ताव।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा ओडिटोरियम तथा सभाकक्ष के निर्माण प्रस्ताव स्थगित किया गया।
12	नवीन मण्डी स्थल, कानपुर के कचरे (waste) को विद्युत एवं जैविक उर्वरक के रूप में परिवर्तन विषयक प्रस्ताव।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा संविक्षा की गयी कि प्रश्नगत प्रस्ताव में प्रस्तावक फेडरेशन द्वारा पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) के तर्ज पर बायो कम्पोस्ट यूनिट को चलाये जाने का सुझाव दिया गया है किन्तु उसकी सेवा शर्तो (टर्म्स एण्ड कन्डीशन) का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त दृष्टिकोण से प्रश्नगत प्रस्ताव अपूर्ण प्रतीत होता है। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एन0सी0सी0एफ0) से अनुरोध कर पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त करने की कार्यवाही करते हुए उसके पुनः प्रस्ताव का परीक्षण कर मा0 संचालक मण्डल की बैठक में

		प्रस्तुत किया जाय।
13	उ0प्र0 की मण्डी समितियों के मण्डी स्थलों में मण्डी एवं स्टेक होल्डर्स के मध्य आधारभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु मण्डी स्वास्थ्य कार्ड योजना/कृषक संस्तुष्टिकरण स्तर लागू किये जाने हेतु भारतीय राष्ट्रीय उपभोगता सहकारी संघ लि0 (एन0सी0सी0एफ0) द्वारा अध्ययन/सर्वे कराये जाने विषयक प्रस्ताव।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि जिन मण्डी स्थलों में मण्डी एवं स्टेक होल्डर्स के मध्य आधारभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु मण्डी स्वास्थ्य कार्ड योजना/ कृषक सन्तुष्टीकरण अध्ययन/ सर्वे एन0सी0सी0एफ0 द्वारा कराया गया उनका अध्ययन/ सर्वे रिपोर्ट के आधार पर एन0सी0सी0एफ0 से मा0 संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुतीकरण करवाया जाय।
14	उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हाफेड) को फल एवं सब्जी विपणन केन्द्र की स्थापना हेतु लखनऊ स्थित दुबग्गा मण्डी तथा मोहिबुल्लापुर मण्डी में एक–एक दुकान का आवंटन किये जाने विषयक प्रस्ताव।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा आवन्टन नियमावली को सुलभ कराते हुए उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ को निर्णयानुसार दुकानों के आवन्टन की सैद्धान्तिक स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी कि यदि उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हाफेड) द्वारा दुकानों का उपयोग थोक फल एवं सब्जी के विपणन हेतु किया जाता है तो ही दुकान आवन्टन किया जाय अन्यथा फुटकर फल एवं सब्जी आदि के विपणन हेतु दुकान का आवन्टन न किया जाय।
15	पब्लिक प्राइवेट प्रार्टनरशिप माडल पर नवीन मण्डी स्थलों में मूल्य संवर्धन विषयक परियोजनाओं के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
16	उत्तर प्रदेश की विनियमित मण्डियों के वर्गीकरण हेतु मण्डी शुल्क के स्लैब का पुर्ननिर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
17	मण्डी समिति लखनऊ क्षेत्रान्र्तगत हरदोई रोड स्थित मैंगो पैक हाउस, रहमान खेड़ा को सम्पूर्ण वर्ष संचालित रखने हेतु तीन टन प्रति	मा0 संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि मैंगो पैक हाउस को सम्पूर्ण वर्ष संचालित रखने हेतु तीन टन प्रति घन्टा क्षमता के आलू प्याज के सार्टिंग, ग्रेडिंग एवं

	घन्टा क्षमता के आलू प्याज के सार्टिंग, ग्रेडिंग एवं वाशिंग लाइन मशीन की आपूर्ति/स्थापना एवं दो टन प्रति घंटा क्षमता के विभिन्न प्रकार के सब्जियों की सार्टिंग, ग्रेडिंग वाशिंग एवं पैकिंग लाइन की मशीन की आपूर्ति/स्थापना कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव।	वाशिंग लाइन मशीन की आपूर्ति/स्थापना का वाईबिलिटी अध्ययन करा लिया जाय। अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर तथा प्रश्नगत अवस्थापना सम्बन्धी कार्य की वाईबिलिटी होती है तो इसकी स्थापना का कार्य कराया जाय।
18	पंचम वेतनमान पुनरीक्षण में सामान्य वेतनमान/समयमान वेतनमान पुनरीक्षण तथा समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा प्रभावी न होने के फलस्वरूप मण्डी परिषद की भॉति मण्डी समितियों में भी चतुर्थ वेतनमान में ही कार्यरत कार्मिकों को चतुर्थ वेतनमान में अनुमन्य की गयी सेलेक्शन ग्रेड/समयमान वेतनमान् की सुविधा दिये जाने के संबंध में प्रस्ताव।	प्रस्ताव वापस लिया गया।
19	रिट याचिका संख्या–289(एम0बी0)/2007 में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.08 के अनुपालन में श्री राजीव श्रीवास्तव, सचिव की उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) के पद पर पदोन्नति हेतु उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) का एक अधिसंख्य पद एवं पदोन्नति की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) के पद पर की गयी पदोन्नति का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
20	शासनादेश संख्या– 144/ 80–1–2006 –8/98 दिनांक 17.1.2006 द्वारा स्वीकृत समयमान वेतनमान के अनुसार श्रेणी–2 के पदों पर समयमान वेतनमान की सुविधा	प्रस्ताव वापस लिया गया।

	प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	
21	सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए सम्भागीय कार्यालयों तथा मण्डी समितियों को मुख्यालय से जोड़ने तथा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग व्यवस्था लागू किये जाने का प्रस्ताव।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्णय लिया कि एन0आई0सी0 के कमेन्टस के साथ लीजलाइन कनेक्टीविटी को स्वान के माध्यम से जोड़ने पर विचार कर लिया जाय।

अन्य प्रस्ताव – मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

1	श्रेणी–1 के पदों पर चयन समिति की संस्तुति उपरान्त की गयी पदोन्नति के कार्योत्तर अनुमोदन का प्रस्ताव।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा मुख्य लेखाधिकारी 01 पद, वरिष्ठ लेखा/ सम्प्रेक्षाधिकारी 02 पद तथा उपनिदेशक (निर्माण) 01 पद पर की गयी पदोन्नति का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(राजेश कुमार सिंह)
निदेशक
सदस्य/सचिव

अनुमोदित

14-9-09

(इन्द्रजीत सरोज)
अध्यक्ष, मण्डी परिषद,
उत्तर प्रदेश